

# कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या-वा0क0अधि0/स्व0मूल्यांकन/सी0आर0/ /16, दि0 अप्रैल 04, 2016  
परिपत्र

वर्ष 2015-16 हेतु वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश की विभिन्न पीठों में कार्यरत सदस्यगण की वार्षिक प्रविष्टियों अंकित की जानी है। अतः समस्त सदस्यगण वर्ष 2015-16 की दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की सम्पूर्ण अवधि अथवा सम्बन्धित पीठ कार्यालय/कार्यालयों में तैनाती की अवधि का 'स्वमूल्यांकन प्रपत्र' निर्धारित प्रारूप में समस्त संलग्नकों तथा न्यायिक कार्य-स्तर के मूल्यांकन हेतु संगत वर्ष में दिये गये निर्णयों, जो अधिकारी द्वारा स्वयं लिखाये गये हो, में से किन्हीं तीन निर्णयादेशों की प्रतियों सहित विलम्बतम् दिनांक 30.04.2016 तक मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वांछित स्वमूल्यांकन प्रपत्र उपरोक्तानुसार उल्लिखित समस्त संलग्नों सहित न्यायिक सदस्यगण द्वारा तीन सेट में तथा प्रोन्नति के फलस्वरूप नियुक्त विभागीय सदस्यगण द्वारा दो सेट में उपलब्ध कराया जायें।

समस्त सदस्यगण को एतद्वारा यह भी निर्देशित किया जाता है कि संगत वित्तीय वर्ष की सम्बन्धित कार्य अवधि में यथा स्थिति एकल पीठ, युगल पीठ अथवा पूर्ण पीठ में निस्तारित वादों के सम्बन्ध में पृथक पृथक रूप से निस्तारण मानक गणना-शीट स्वमूल्यांकन प्रपत्र के प्रत्येक सेट के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाये।

संलग्नक: स्वमूल्यांकन प्रपत्र व संलग्नकों का प्रारूप।

ह0 04.04.16

(डी0एस0 त्रिपाठी)

एच.जे.एस.

अध्यक्ष

वाणिज्य कर अधिकरण

उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन: संख्या-वा0क0अधि0/स्व0मूल्यांकन/सी0आर0/1468/16, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सदस्य वाणिज्यकर अधिकरण उत्तर प्रदेश।
2. कार्यालय-अधीक्षक, वाणिज्यकर अधिकरण, उ0प्र0(मुख्यालय)।
3. वरिष्ठ लिपिक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से,

(डी0पी0 सिंह)

निबन्धक

वाणिज्य कर अधिकरण

उ0प्र0, लखनऊ।

